प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4021/2007

याचिकाकर्तागण - 1. सहदेव राम मैत्री, पिता श्री साखी राम, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम ताईदेवरी, पोस्ट-मोहाली, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– जलवाहक, अनुसूचित जाति बालक आश्रम, पिंडारी, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

2. करमहा रात्रे, पिता श्री शिव प्रसाद रात्रे, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम बाशिनबेहरा, पोस्ट-कोटरी, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– रसोइया, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, कोशिर, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. गौरीशंकर महिलाने, पिता श्री बी.एल. महिलांगे, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम चुरेल, पोस्ट-हार्डी, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– चौकीदार, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

4. ठाकुर प्रसाद पैंकरा, पिता श्री नेगीराम पैंकरा, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम खार, पोस्ट-केशला, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– भृत्य, शासकीय कन्या छात्रावास, काया, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

5. चित्रसेन पैंकरा, पिता श्री नन्ही राम पैंकरा, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम चारभाटा, पोस्ट-घरघोड़ा, तहसील

घरघोड़ा, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– भृत्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

6. शिव प्रसाद पैंकरा, पिता श्री नन्हू राम पैंकरा, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम चारभाटा, पोस्ट-घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

7. अमृत लाल पैंकरा, पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद पैंकरा, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम चारभाटा, पोस्ट-घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. टीका राम निषाद, पिता श्री कुरसो राम, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी ग्राम सलिहाभाठा, पोस्ट-तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– शासकीय कन्या छात्रावास, काया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

9. घुराऊ राम पेजेस, पिता श्री अंधा राम सिदार, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम सलिहाभाठा, पोस्ट-तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– जलवाहक, शासकीय कन्या छात्रावास, काया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

10. सालिक राम पैंकरा, पिता श्री इनजोर सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम कठारपाली, डोलेसरा, तहसील घरघोड़ा,

जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

11. निरंजन प्रसाद जटवार, पिता श्री धनी राम जातवार, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम कपिसदा, पोस्ट-उचभीठी, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– जलवाहक, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

12. तेजराम जोल्हे, पिता श्री राम जोल्हे, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम कपिसदा, पोस्ट-उचभीठी, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, व्यवसाय–सेवा, पदस्थ– जलवाहक, बालक छात्रावास, पिंडारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।

3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

4. कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

5. कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायगढ़, तहसील एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री सुनील साहू, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य की ओर से श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 11 जुलाई, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.1997 (अनुलग्नक पी./3) की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए गए नियमित वेतनमान को वापस ले लिया गया तथा इसके पश्चात उन्हें कलेक्टर दर के अनुसार दैनिक वेतन पर भुगतान किया जाने लगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि प्रारंभ में- याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को दिनांक 01.05.1989 के आदेश द्वारा वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को दिनांक 19.07.1989 के आदेश द्वारा रसोइया के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को दिनांक 29.11.1989 के आदेश द्वारा चौकीदार के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 4 को दिनांक 07.03.1989 के आदेश द्वारा भृत्य के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 5 को दिनांक 31.01.1992 के आदेश द्वारा भृत्य के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 6 को दिनांक 18.03.1991 के आदेश द्वारा भृत्य (वाटरमैन) के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 7 को दिनांक 18.03.1991 के आदेश द्वारा रसोइया के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 8 को दिनांक 24.03.1991 के आदेश द्वारा वाटरमैन के

पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 9 को दिनांक 24.03.1991 के आदेश द्वारा वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 10 को दिनांक 30.07.1991 के आदेश द्वारा वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 11 को दिनांक 17.05.1991 के आदेश द्वारा वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया; तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 12 एवं 13 को भी दिनांक 17.05.1991 के आदेश द्वारा वाटरमैन के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके उपरांत— याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को दिनांक 30.04.1992 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को दिनांक 17.07.1993 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को दिनांक 22.12.1992 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 4 को दिनांक 06.03.1992 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 5 को दिनांक 01.02.1995 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 6 एवं 7 को दिनांक 01.04.1994 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 8 एवं 9 को दिनांक 01.01.1994 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; याचिकाकर्ता क्रमांक 10 को दिनांक 01.08.1994 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया; तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 11 एवं 12 को दिनांक 16.05.1992 के आदेश द्वारा नियमित वेतनमान प्रदान किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) याचिकाकर्ता लगभग 10 वर्षों तक नियमित वेतनमान की वापसी के संबंध में संतुष्ट बने रहे। तत्पश्चात, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2006 को पारित निर्णय एवं आदेश, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1792/2005 (मनमोहन पतेई बनाम मध्य प्रदेश राज्य) में याचिका स्वीकार किए जाने के पश्चात याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1998 में ही चुनौती दी थी। उक्त

निर्णय का अवलंब लेते हुए वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 25.04.2007 को यह याचिका दायर कर दिनांक 04.10.1997 (अनुलग्नक पी./3) के आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य**[1] के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है—

> "यह नहीं है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालयों की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है, और न ही यह कि किसी निश्चित अवधि के पश्चात न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तथापि, यह न्यायालयों के विवेक का उचित और विवेकपूर्ण प्रयोग होगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के मामलों में अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार करें, जो समय रहते अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाते, बल्कि परिस्थितियों को घटित होने देते हैं और बाद में पुराने दावों को प्रस्तुत कर स्थापित स्थितियों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मप्र राज्य व अन्य बनाम नंदलाल जयसवाल व अन्य**[2] के प्रकरण में आगे यह अभिप्रेत किया है—

> *"यह सुव्यवस्थित विधि सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपयुक्त रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है, और इस विवेक के प्रयोग में उच्च न्यायालय सामान्यतः विलंब करने वाले, उदासीन या मौन स्वीकृति देने वाले तथा शिथिल व्यक्तियों की सहायता नहीं करता। यदि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और उस विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने एवं अनुतोष प्रदान करने से इंकार कर सकता है। विलंब के इस सिद्धांत का विकास अनेक

1 AIR 1974 SC 2271
2 1986) 4 SCC 566

कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय सामान्यतः रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विलंब से की गई याचिका को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इससे भ्रम, लोक असुविधा तथा नई अन्यायपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस बीच तृतीय पक्षों के अधिकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, और यदि अनुचित विलंब के पश्चात रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इससे तृतीय पक्षकारों को कठिनाई, असुविधा एवं अन्याय हो सकता है। जब उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया जाता है, तब अस्पष्टीकृत विलंब तथा इस बीच तृतीय पक्ष के अधिकारों का सृजन—यह दोनों कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर न्यायालय यह निर्णय लेते समय विचार करता है कि उसे इस अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। हम इस निर्णय को विभिन्न न्यायिक निर्णयों के उल्लेख से बोझिल करना आवश्यक नहीं समझते, जिनमें बार-बार यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ अत्यधिक एवं अस्पष्टीकृत विलंब हो तथा मध्यावधि में तृतीय पक्षों के अधिकार उत्पन्न हो गए हों, वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने से इंकार करेगा, भले ही राज्य की कार्यवाही असंवैधानिक या अवैध क्यों न हो।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम दीनबंधु मजूमदार व एक अन्य**[3] के प्रकरण में भी निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया है—

"किसी कर्मचारी द्वारा इस विषय में आपत्ति न उठाने का उसका आचरण ही, हमारे मत में, उच्च न्यायालय के लिए यह पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वह मौन स्वीकृति, अनुचित विलंब तथा अति विलंब के आधार पर ऐसी याचिकाओं पर विचार न करे।"

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा एक अन्य बनाम के. थंगाप्पन एवं एक अन्य**[4] के प्रकरण में निम्नलिखित अभिप्रेत किया है—

3 (1995) 4 SCC 172
4 (2006) 4 SCC 322

"विलंब या अतिविलंब उन कारकों में से एक है, जिसे उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उपयुक्त मामलों में, यदि आवेदक द्वारा अपने अधिकार का दावा करने में असावधानी या चूक रही हो, और समय के अंतराल तथा अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर उससे प्रतिपक्ष को हानि पहुँचती हो, तो उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है। यहाँ तक कि जहाँ मौलिक अधिकार भी संलिप्त हों, तब भी विषय न्यायालय के विवेकाधिकार में रहता है, जैसा कि दुर्गा प्रसाद बनाम मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक में प्रतिपादित किया गया है। निस्संदेह, यह विवेकाधिकार न्यायोचित एवं युक्तिसंगत ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।"

(8) वर्तमान प्रकरण में, कार्य हेतुक दिनांक 04.10.1997 को उत्पन्न हुआ, जब नियमित वेतनमान की स्वीकृति वापस ले ली गई। इसके पश्चात, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 25.04.2007 को यह याचिका प्रस्तुत करने तक कोई कदम नहीं उठाया और वे उदासीन एवं शिथिल बने रहे। याचिकाकर्ताओं द्वारा 10 वर्षों के इस अनुचित एवं अत्यधिक विलंब के लिए कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार की विलंबित याचिका निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के लिए कठिनाई एवं असुविधा उत्पन्न करेगी।

(9) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों से, यह रिट याचिका न्यायालय में विलंब से आने के आधार पर ग्राह्य नहीं मानी जाती है और इसी आधार पर खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur